संख्या-18/2024/156/22-4-2024-1776430

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक-28 फरवरी, 2024**

विषय- केन्द्रीय कारागार, इटावा में वनस्पति तेल उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36452/उद्योग-1/इटावा/तेल उद्योग/23-24, दिनांक 20.12.2023, पत्र संख्या-1156/उद्योग-1/इटावा/तेलउद्योग/2023-24, दिनाँक 09.01.2024 एवं पत्र संख्या-3493/उद्योग-1/इटावा/तेलउद्योग/2023-24, दिनाँक 07.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में वनस्पति तेल उद्योग स्थापित किये जाने तथा उक्त उद्योग को संचालित कराये जाने हेतु मशीनों के क्रय पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत धनराशि रू0 14,56,120/- (रूपया चौदह लाख छप्पन हजार एक सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण / शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरण/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,56,120 (रुपये चौदह लाख छप्पन हजार एक सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002800 जेल उत्पाद **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-12-455-X-2023-24, दिनांक-27 फरवरी,2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2024/156(1)/22-4-2024, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।